न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः— 271 / 2025

प्रार्थी::—

सज्जनसिंह पुत्र सांवलाराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. अर्जुनसिंह पुत्र मांगीलाल
2. आसकीदेवी पत्नी मदनलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
4. चम्पादेवी पत्नी प्रभुराम
5. पानकीदेवी पत्नी मांगीलाल
6. भटाराम पुत्र प्रभुराम
7. भीखाराम पत्र मदनलाल
8. श्रवणकुमार पुत्र प्रभुराम
9. हडमानाराम पुत्र प्रभुराम
10. अमराराम पुत्र सवाजी
11. डायाराम पुत्र उतमाराम
12. तगाराम पुत्र उतमाराम
13. नकलाराम पुत्र उतमाराम
14. पारसमल पुत्र उतमाराम
15. भीखाराम पुत्र सवाजी
16. मीठाराम पुत्र सवाजी
17. वींजाराम पुत्र सवाजी

जाति नाई निवासी थान तहसील सिवाना जिला बालोतरा

शाख प्रबन्धक एस.बी.आई ए.डी.बी. शाखा सिवाना

18. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— 1. गौतम राजपुरोहित वकील प्रार्थी

2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

::आदेश::

दिनांकः— 22.05.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 638 रकबा क्रमशः 1.7012 हैक्टेयर भूमि ग्राम थापन तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरो की लगती हुई विप्रार्थी सं. 1 से 17 की खातेदारी भूमि ख.स. 639 व 648 की भूमियां आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया ए से बी विप्रार्थी सं. 1 से 17 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 से 17 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 17 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 17 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित पदों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु प्रार्थी के खातेदारी खेत के समीप स्थित

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

विप्रार्थी संख्या 1 से 17 के खातेदारी भूमि में प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित बरंग लाल बिन्दू संख्या ए से बी ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग लाल बिन्दू संख्या ए से बी को गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे, प्रार्थी उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 17 को देने हेतु सहमत है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख) के बिन्दू (ii) के अनुसार अन्य खातेदार की जोत से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो तो उक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जा सकता है। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थी को खातेदारी खेत से डामर सडक तक आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता एवं समस्त विकल्पों मे से निकटतम स्त्रोत है, प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु खसरा संख्या 639 व 648 के मध्य से रास्ता चलयमान है जो की खरीफ की फसल बुवाई करने से बन्द कर दिया जाता है, तथा प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण,ढाणी अथवा पुराना वृक्ष नहीं है। प्रार्थी ने रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख) के बिन्दू (ii) को भलीभांति सिद्ध किया है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित पिोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम थापन तहसील सिवाना की खसरा संख्या 638 भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 17 की खातेदारी भूमि ख.सं. 648 में से लम्बाई 94 मीटर व चौडाई 4 मीटर रकबा 0.0376 हैक्टेयर व खसरा संख्या 639 मे लम्बाई 104 मीटर व चौडाई 4 मीटर रकबा 0.0416 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित बिन्दू संख्या ए से बी भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 17 को दी जावे ,विप्रार्थी संख्या 1 से 17 द्वारा उक्त राशि लेने से इन्कार की स्थिति में उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक– राजस्व/2026/494 दिनांक 07.04.2026 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

भू- नक्शा
मौजा - थापन
तहसील- सिवाना

na 639

Login

Online Users: 50
Online Visitors: 761

Home
Location

State: Rajasthan
District :
35 बालोतरा
Tehsil : 306 सिवाना
RI : 0191 थापन
Halkas : 00752 थापन
Village :
02367 थापन (चालु)
Sheet No :
003 सर्वे - रीसर्वे

Plot Info

क्षेत्रफल : 1.1583 Hectare
खाता संख्या : 52
1.) अर्जुनराम पुत्र मागीलाल हिस्सा- 1/6 जाति- नाई सा. देह खातेदार
2.) आसकीदेवी पत्नि मदनलाल हिस्सा- 1/12 जाति- नाई सा. देह खातेदार
3.) ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल हिस्सा- 1/8 जाति- नाई सा. देह खातेदार
4.) चम्पादेवी पत्नि प्रभूराम हिस्सा- 1/12 जाति- नाई सा. देह खातेदार
5.) पानकीदेवी पत्नि मागीलाल हिस्सा- 1/6 जाति- नाई सा. देह खातेदार

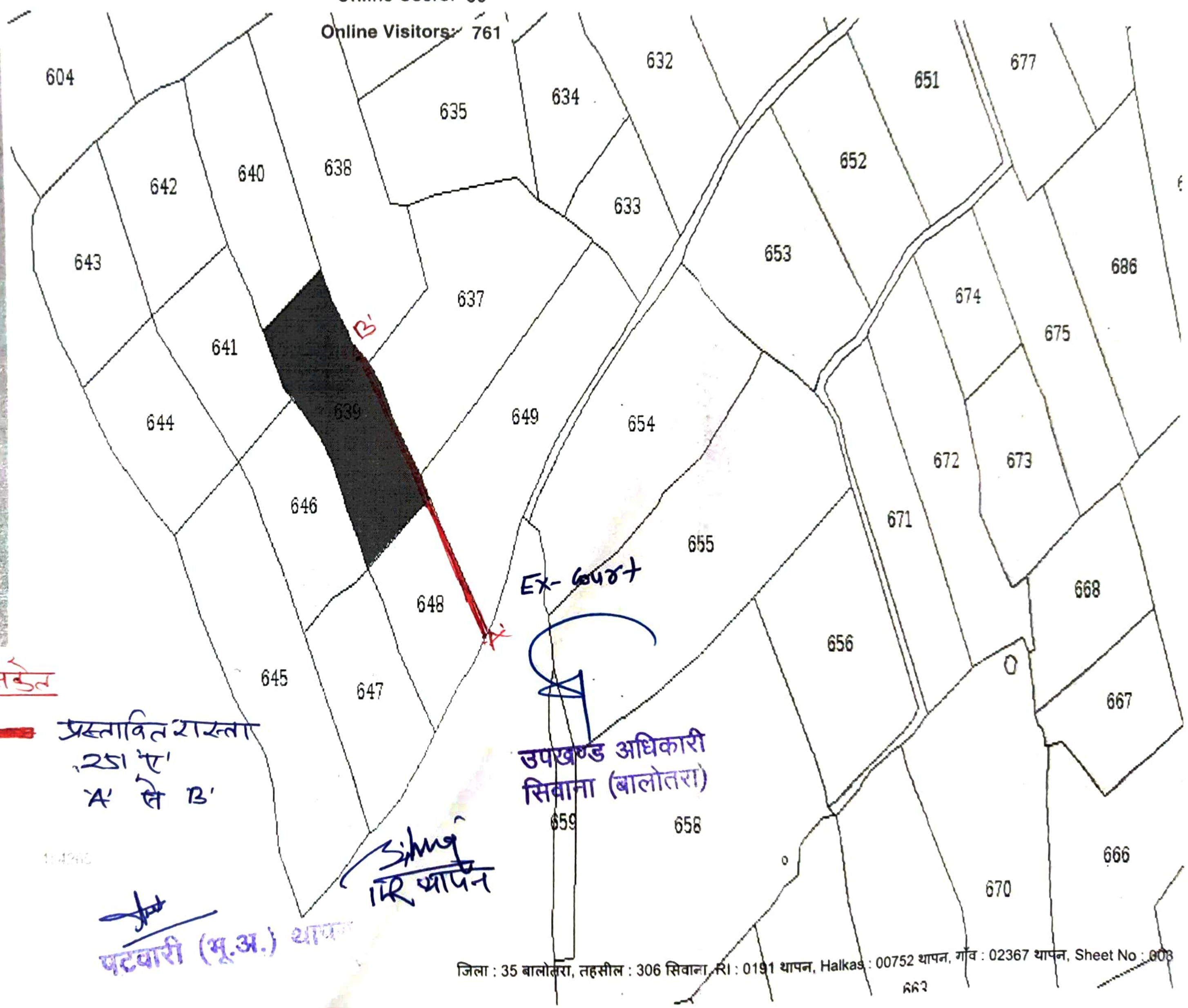

संकेत
प्रस्तावित रास्ता ,25। 'ए' 'A' से 'B'

पटवारी (भू.अ.) थापन

ILR थापन

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

जिला : 35 बालोतरा, तहसील : 306 सिवाना, RI : 0191 थापन, Halkas : 00752 थापन, गाँव : 02367 थापन, Sheet No : 003